भामा
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
(कार्यालय : प्रशासनिक भवन हल्दीना, तहसील – मालाखेडा, जिला – अलवर (राज.) पिन कोड़ – 301406)
Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321
Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :–राऋभमवि / अल / अका.प्र. / 2025 / 1415 दिनांक :– 9.5.2025

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.04.2025 (बुधवार) का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.04.2025 (बुधवार) को माननीय कुलपति महोदय प्रो. शील सिंधु पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो. शील सिंधु पाण्डेय	माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष
2.	महंत श्री बालक नाथ	माननीय विधायक, तिजारा
3.	डॉ. रवि कांत शर्मा	राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट, प्राचार्य, राजकीय महा. तिजारा
4.	डॉ. सतीश कुमार त्रिगुनायत	राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट, शिक्षाविद्
5.	डॉ. राजीव सक्सेना	राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट, शिक्षाविद्
6.	डॉ. अरूण कुमार चर्तुवेदी	कुलाधिपति नामनिर्दिष्ट (ऑनलाईन उपस्थित)
7.	श्री राजकुमार	सदस्य नामित, संयुक्त शासन सचिव (वित्त)
8.	श्री लोकेश कुमार मीणा	सदस्य सचिव, कुलसचिव
9.	श्री गोपाल कालरा	वित्त नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)

बैठक के प्रारम्भ में माननीय सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं गतिविधियों की जानकारी करायी गयी। इसके पश्चात बैठक एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्ननानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु 01 :– विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 13.06.2024 तथा 27.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 13.06.2024 तथा 27.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि सर्वसम्मिति की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.03.2025 में पारित विश्वविद्यालय बजट का अनुमोदन। (संलग्न–01)

निर्णय :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.03.2025 में पारित विश्वविद्यालय के वर्ष 2023–2024 के वास्तविक बजट, वर्ष 2024–25 के संशोधित बजट अनुमान एवम् वर्ष 2025–26 के अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया तथा प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये–

- आगामी **FDR's** का **renewal** या पुनरारम्भ बैंकों से **best interest rate** प्राप्त किया जावें।
- विश्वविद्यालय के द्वितीय फेज के निर्माणाधीन कार्मिकों हेतु आवास **G+3/G+4** पर पुनः विचार किया जावे। ताकि स्थान का **best utilization** किया जा सकें। आगामी निर्माण कार्यों में 15 मीटर तक के निर्माण के आधार पर **design** को तैयार करवाकर **redesign** को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।
- पूर्व में निर्मित भवन निर्माण की **Third Party** जांच करवाई जावें अगर पूर्व में **Third party** की जांच हुई है तो उक्त **report** की प्रति प्रबंध मंडल को उपलब्ध करवाई जावें। उक्त पूर्व निर्मित

भवन के भूतल में जलभराव की **liability** निर्माण कार्य कर रही एजेंन्सी पर तय की जावें एवं पत्र लिखकर एजेंन्सी को कमियों को दूर कर **repair and maintenance** कार्य को पूर्ण करने हेतु बाध्य किया जावें। इस आशय की सूचना राजभवन को भी भेजी जावे।

- विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन केवल द्वितीय फेज के स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृती दी गई। तृतीय फेज हेतु अभी आवश्यकता न होने के कारण निर्णय को लम्बित रखा गया। आगामी निर्माण कार्यों को उपयोगिता के आधार पर ही किया जावे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03 :– विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 03.09.2024, 21.10. 2024, 16.04.2025 तथा 28.04.2025 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय :– विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 03.09.2024, 21.10.2024, 16.04.2025 तथा 28.04.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि सर्वसम्मिति की गई तथा माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी निम्न सुझाव भी दिये गये –

- माननीय सदस्य प्रो. सतीश कुमार त्रिगुनायत के सुझाव पर प्रबंध मंडल सदस्यों ने निर्णय करते हुये MCQ आधारित प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु अकादमिक परिषद के निर्णय को परिवर्तित करते हुए राशि रू 75/– के स्थान पर राशि रू 50/– प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04 :– माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेण्डा।
निर्णय :– माननीय विधायक महंत श्री बालकनाथ जी ने निम्न सुझाव दिये। उनके अनुसार–

- विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार की जावें। कार्ययोजना अनुसार कार्य पूर्णता का सत्यापन सरकारी कर्मचारी, पंच व सरपंच द्वारा करवाया जाए।
- विश्वविद्यालय में **Forensic Science deptt.** खोलने के संबंध में विचार विमर्श कर संभावना तलाश की जावें।
- परीक्षा केन्द्रों के **Application fee/process fee** के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए पूर्व निर्धारित केन्द्रों हेतु **processing fee** रू 5000/– प्रति परीक्षा केन्द्र एवं नवीन परीक्षा केन्द्र हेतु रू 20000/– शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
- गुरू गोविन्द सिंह महिला महाविद्यालय, राजगढ़ के सम्बद्धता शुल्क के सम्बंध में निर्णय लेते हुए महाविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क के पांच गुना विलम्ब शुल्क सहित सम्बद्धता शुल्क जमा कराने का निर्णय लिया गया अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया।
- माननीय विधायक जी ने स्वंय के प्रबन्ध मंडल बैठक भत्ते एवं यात्रा भत्ते को किसी गरीब छात्र की मदद हेतु देने का निर्णय लिया।
- विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के सदस्यों के लिये दीक्षांत समारोह में पहने जाने वाले गणवेश हेतु राशि रू 8000/– दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

कुलपति

कुलसचिव